



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संजय गवई

SANJAY GAWAI

वित्ताधिकारी एवं कार्यकारी कुलसचिव

FINANCE OFFICER & ACTING REGISTRAR

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230 906

फैक्स/Fax : + 91-7152-232 994

मोबाइल/Mobile : + 91-95453 35522

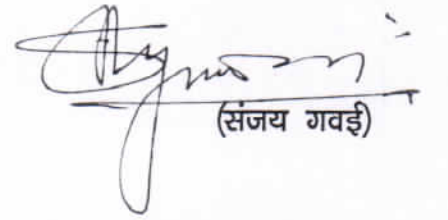
पत्रांक: 002/2012/निर्गत2013-14/10/720

दिनांक: 12.03.2015

संशोधित परिपत्र/सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र/सूचना क्रमांक 002/2012/निर्गत/2013-14/10/720, दिनांक 21.02.2015 में बिंदु संख्या 6 में “छुट्टी यात्रा सुविधा हेतु जिन कर्मचारियों को हवाई यात्रा की पात्रता है, को रेलमार्ग का, द्वितीय श्रेणी का गृह नगर/संपूर्ण भारत छुट्टी यात्रा सुविधा ही तत्काल प्रभाव से दिए जाने का निर्णय लिया गया है।”, का उल्लेख है।

उपर्युक्त बिंदु में आंशिक संशोधनोपरांत “छुट्टी यात्रा सुविधा हेतु जिन कर्मचारियों को हवाई यात्रा की पात्रता है, को रेलमार्ग का, 2 टयर वातानुकूलित का गृह नगर/संपूर्ण भारत छुट्टी यात्रा सुविधा ही तत्काल प्रभाव से दिए जाने का निर्णय लिया गया है।”, पढ़ा जाए। शेष यथावत रहेगा।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि: सभी विद्यापीठ/केंद्र/विभाग/अनुभाग - वेबसाइट के माध्यम से।